फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/45) **कमरूननिशा व अन्य बनाम नासरा खातून व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री जय प्रकाश आमेटा - वकील अपीलार्थी 2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, आशीष कोठारी - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 **अनवान** 1. कमरूननिशा पत्नि स्व. मुर्तजा बेग, निवासी सावा, हाल मकाम छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 2. मोहम्मद युनुस मिर्जा पिता स्व. मुर्तजा बेग, निवासी सावा, हाल मकाम छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 3. मोहम्मद युसुफ मिर्जा पिता स्व. मुर्तजा बेग, निवासी सावा, हाल मकाम छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 4. मोहम्मद यासीन मिर्जा पिता स्व. मुर्तजा बेग, निवासी सावा, हाल मकाम छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 5. यासमीन मिर्जा पुत्री स्व. मुर्तजा बेग, निवासी सावा, हाल मकाम छीपा मोहल्ला, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। **अपीलार्थी** 1. नासरा खातून पुत्री हुसैन बेग पत्नि काबिल हुसैन, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 2. हुसैना पुत्री हुसैन बेग पत्नि अब्दुल सत्तार, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 3. रजिया पुत्री हुसैन बेग पत्नि काबिल हुसैन, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। 4. सबर जान बेवा हुसैन बेग, (फौत) वारिसान रेकार्ड पर है। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 11/2023 निर्णय दिनांक 12.06.2023 (अनवान नासरा खातुन बनाम मुतरजा बेग फौत की बजाय कमरूननिशा व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 11.10.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, बप्रकरण संख्या 11/2023 निर्णय दिनांक 12.06.2023 (अनवान नासरा खातुन बनाम मुतरजा बेग फौत की बजाय कमरूननिशा व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • विवादित भूमि के खातेदार कन्हैयालाल ने रजिस्टर्ड विकय्र पत्र दिनांक 20.12.1952 से अहमद बेग को विक्रय की। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत सावा ने इंतकाल संख्या 472 दिनांक 27.02.1966 को खरीददार अहमद बेग के नाम स्वीकृत किया। अहमद बेग की मृत्यु हो जाने के आधार पर इंतकाल संख्या 473 विरासत से मुर्तजा के नाम दिनांक 27.02.1966 को स्वीकृत किया। इन इंतकाल आदेशों को वर्तमान रेस्पोडेंट्स ने उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ के यहां जरिये अपील चुनौती दी। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ ने दिनांक 28.02.2012 को अपील स्वीकार करते हुए इंतकाल संख्या 473 निरस्त कर दिया एवं पक्षकारान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/45) **कमरूननिशा व अन्य बनाम नासरा खातून व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के नाम इंतकाल खोलने का आदेश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण के पिता मुर्तजा बेग द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2012 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की और उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 28.05.2012 तथा इंतकाल संख्या 472 व 473 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, चित्तौडगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया कि वह विरासत की जांच कर, नियमों के परिपेक्ष्य में नये सिरे से आदेश पारित करें।

- उक्त आदेश की पालना नहीं होने से वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष पालना बाबत दिनांक 12.06.2023 आवेदन मय प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर करते हुए धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए इस प्रकरण से संबंधित भूमि के संबंध में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर पत्रावली दिनांक 21.06.2023 को पेश करने का फर्द अहकाम पर आदेश प्रसारित किया।

न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के उक्त आदेश दिनांक 12.06.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 04.10.2023 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा 11 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही कोई प्रकरण पत्रावली दर्ज की गई। रेस्पोडेंट के आवेदन पर दिनांक 12.06.2023 को प्रकरण दर्ज कर उनके प्रार्थना पर बिना विपक्षीगण को नोटिस जारी किये हुए दिनांक 12.06.2023 को एक तहरीर जारी कर किसी भी प्रकार का पंजीयन नहीं किया जाने बाबत एक तहरीर उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक चित्तौड़गढ़ को जारी कर दी व साथ ही पटवारी हल्का को नामान्तरकरण संख्या 472, 473 निरस्त होने से रेकार्ड की स्थिति पूर्व अनुसार दर्ज करने का निर्देश भी प्रदान कर दिया गया। ऐसा आदेश न्यायालय की स्वच्छाचारिता के प्रदर्शित करता है, ऐसे आदेश निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किये गये जो नियम विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन पर यह आदेश पारित कर देना कि उपरोक्त आराजी नम्बर इस प्रकरण से संबंधित होने इस न्यायालय के निर्णय तक किसी प्रकार का कोई पंजीयन नहीं किया जावें। उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से कर दिया गया है, जो काबिल निरस्त के है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 11/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी की उपरोक्त बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/45) **कमरूननिशा व अन्य बनाम नासरा खातून व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपनी बहस में प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है, जिसकी कोई अपील लाई नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय की अनुपालना में सभी पक्षकारान के हित एवं अधिकार सुरक्षित रखने हेतु किया गया है, जिससे अपीलार्थी ही बाध्य न होकर प्रत्यर्थीगण भी है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा वस्तुस्थिति की वास्तविकता को छिपाते हुए दाद चाहते है, जो अपीलाधीन आदेश के परे जाकर दिये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी विवादित भूमि के संबंध में निर्णय दिनांक 28.08.2012 से निम्नांकित निर्देश दिये-

> अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ का निर्णय दिनांक 28.05.2012 तथा इंतकाल संख्या 472 व 473 निरस्त किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार, चित्तौडगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह विरासत की जांच कर, नियमों के परिपेक्ष्य में नये सिरे से आदेश पारित करें।

उक्त आदेश की पालना नहीं होने से वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष पालना बाबत दिनांक 12.06.2023 आवेदन मय प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर करते हुए धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए इस प्रकरण से संबंधित भूमि के संबंध में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर पत्रावली दिनांक 21.06.2023 को पेश करने का फर्द अहकाम पर आदेश प्रसारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक 770-71 दिनांक 12.06.2023 से उपपंजीयक, पंजीयन एवं मुदांक, चित्तौड़गढ़ को विवादित आराजीयात का उनके न्यायालय के निर्णय तक किसी भी प्रकार को कोई पंजीयन नहीं किये जाने के आदेश दिये और पटवारी हल्का को नामान्तरकरण संख्या 472 व 473 निरस्त होने से रेकार्ड की स्थिति पूर्वानुसार दर्ज कर रेकार्ड प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

पत्रावलियों के अवलोकन से मूल प्रकरण संख्या 11/2023 को तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ समक्ष लम्बित होना निर्विवादित है। प्रावधित है कि अन्तरिम ओदश द्वारा स्थगन देना या अस्वीकार करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिस पर आक्षेप लगाया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में जो आदेश प्रसारित किया गया है, वह न सिर्फ विपक्षीगण को बाध्य करता, वह प्रार्थी पर भी उसी तरह लागू होता है। प्रावधित है कि यदि विवादग्रस्त सम्पत्ति के बारे में यह खतरा है कि अपील के पक्षकारान द्वारा उसका दुर्व्ययन किया जा सकता है, नुकसान पंहुचाया जा सकता है, संक्रांत करेगें या अपील के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जायेगा। अतः उक्त खतरों से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से न्यायालयों का कर्तव्य है कि वह प्रावधानोंनुसार प्रार्थी/वादी/प्रत्यर्थी/पक्षकारान के हितों/संभावित हितों का संरक्षण करें। यह न्यायालय

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 41/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/45) **कमरूननिशा व अन्य बनाम नासरा खातून व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। साथ अपीलार्थीगण के समक्ष यह विकल्प था कि वह अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के समक्ष ही उक्त आदेश के विरूद्व अपना पक्ष रख सकते थे। अपीलार्थीगण आगामी तिथि को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर इस आदेश पर अपना पक्ष रखकर अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते थे और कोई अनुतोष प्राप्त कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उपरोक्त सम्रग विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को यह आदेश दिया जाता है कि चूंकि न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 28.08.2012 की पालना में प्रकरण वर्ष 2023 में दर्ज किया गया है, ऐसे में वह उनके समक्ष लम्बित प्रकरण में पत्रावली प्राप्ति से एक माह के भीतर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। पक्षकारान दिनांक 25.10.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। आदेश की प्रति सहित रिकार्ड सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जावे। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	